

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
मंगत सिंह बनाम बोहड सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 01 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/25

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल
हुक्म

नम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुक्म
की तामील में
जारी हुए

05.02.2025

प्रार्थी मंगत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 50
एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता
श्री सुधीर कुमार शर्मा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे
निवेदन किया कि चक 3 एफ ए के खाता संख्या 121/121 के मुर्ब्बा नम्बर
2, 3, 28, 32, 60/30 की कुल 13.740 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद
या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश
किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का
अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से
तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने
पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

नोटिस जारी

47
10/2/25

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

30/5/25

आज यह पत्रावली पेशी में ली गई।
हरतगत कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तगत
द्वारा 148(फ) सी.पी.सी पेश किए हुए 90
दिवस से अधिक का समय हो चुका है।
अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। पत्रावली इसी स्तर
पर खारिज की जाती है। पत्रावली
निगृहीत होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल कइतर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

